तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज GCms-2024/934 **न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना** **उनवानी कुलदीप वगै0 बनाम धर्मपाल वगै0 मु.सं. 469/2024**	नम्बर व तारीख इस हुक्म के जारी हुए
06-11-2025	पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उप0। तहसीलदार नीमकाथाना से प्राथमिक डिक्री की पालना में विस्तृत विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ जो शामिल मिसल किया गया। विभाजन प्रस्ताव पर बहस वकील वादीगण एकपक्षीय सुनी गयी। दौराने बहस वकील वादीगण ने तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर सहमति जाहिर करते हुए मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री फरमाने का निवेदन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार नीमकाथाना से प्राथमिक डिक्री की पालना में प्राप्त विस्तृत विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। चूंकि वकील वादीगण अथवा अन्य किसी पक्षकारान ने तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति जाहिर नही की हैं। अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता हैं। विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा। मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो तथा तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 06.11.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया। (राजवीर सिंह यादव) उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना राजवीर सिंह यादव उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)	

उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (राज.)

प्रा0 डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम नीमकाथाना **(सीकर)**
बइजलास **राजवीर सिंह यादव R.A.S.**

1. कुलदीप पुत्र मुखाराम जाति जाट निवासी डाँगी कॉलोनी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज. वगैरह

–वादीगण

बनाम

1. धर्मपाल पुत्र अर्जुन जाति जाट निवासी गोरधनपुरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज. वगैरह

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा
(अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्त0 अधि0)

मुकदमा नं. 469 सन् 2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **राजवीर सिंह यादव आर.ए.एस** व हाजिरी **श्री होशियार सिंह बडसरा एड.** मिनजानिब मुद्दई रूबरू .... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादीगण प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाता हैं। निर्णय दिनांक 03.06.2025 प्राथमिक डिक्री का भाग समझा जावें तथा निर्णय दिनांक 03.06.2025 अनुसार विस्तृत विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाकर प्रकरण में नियत आगामी तारीख पेशी दिनांक 08.08.2025 से पूर्व भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
निज.....................मुबलिग........................बाबत................खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह......... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।
बसव्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 03 माह 06 सन्. 2025 को जारी की गई।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)

मुहर

दस्तखत.............
ओहदा.............

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम नीमकाथाना **(सीकर)**
बइजलास **राजवीर सिंह यादव R.A.S.**

1. कुलदीप पुत्र मुखाराम जाति जाट निवासी डांगी कॉलोनी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज. वगैरह

–वादीगण

बनाम

1. धर्मपाल पुत्र अर्जुन जाति जाट निवासी गोरधनपुरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज. वगैरह

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा
मुकदमा नं. 469 सन् 2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **राजवीर सिंह यादव आर.ए.एस** व हाजिरी **श्री होशियार सिंह बड़सरा एडवोकेट** मिनजानिब मुद्दई रूबरू .... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि **वाद वादीगण मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता हैं। विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा। मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।**
.निज....................मुबलिग...बाबत...खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह.........फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख 06 माह 11 सन् 2025** को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत..........
ओहदा..........

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।